

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आरटीआई के दायरे में हेंग मनरेगा लोकपाल, देनी होगी जानकारी...



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मनरेगा लोकपाल को आरटीआई के दायरे में लाए दिया है। मामले को सुनाई करते हुए जस्टिस बीड़ी गुरु ने उन्होंने आरटीआई की धारा 8 का धावाला दिया और कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 पीभी प्रत्ययी संबंध में जिला जांच व्यवस्था द्वारा प्राप्त जनकारी के लिए घटनालपुर ने उक्त आवेदन को 24.08.2015 द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रेषित किया। 24.08.2015 को जापन प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मनरेगा अधिनियम के प्रवाधानों के कानूनी कानूनों को व्याधित करता है और केंद्र सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए बाध्य है और किसी भी व्यक्ति को इसका खुलासा नहीं कर सकता। यह भी उत्तर दिया गया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के प्रवाधानों ने ऐसी सूचनाओं को आरटीआई के तहत तब वह अपने पास मौजूद सूचना नहीं कर सकता। यह भी उत्तर दिया गया कि आरटीआई अधिनियम एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के तहत मांगी गई जानकारी वाले को व्याधित कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर बाहर था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उस याचिकाकर्ता को आरटीआई के अधिकारी के तहत मांगी गई जानकारी और उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

इसलिए हुआ विवाद

बीड़ी गुरु ने 19.08.2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम ने राज्य सूचना आयुक्त के इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ में याचिकाकर्ता को धारा 8 के प्रस्तुत तथा जनकारी के तहत मांगी गई जानकारी और उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लोकपाल व जन सूचना अधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त के तहत मांगी गई जानकारी और उपलब्ध कराने का सही निर्देश दिया।

पहली और दूसरी दोनों आपील में राज्य सूचना आयुक्त ने दिया निर्देश

बीड़ी गुरु ने 19.08.2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रवाधानों के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया और मुख्य कानूनी कानूनों को व्याधित करते हुए कहा, यह केवल आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य नहीं है, बल्कि समाज के भवित्व के विवरण है। यह सूचना को धारा 8 के अधिनियम के तहत तब वह अपने पास मौजूद सूचना आयुक्त के समक्ष दूसरी आपील दायर करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने 19.08.2015 से आज तक लोकपाल के तहत जनसूचना अधिकारी

जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तब बीबल रात्रे में सीईओ जिला पंचायत जगलपुर के समक्ष आपील दायर की, लेकिन जब उक्त आपील पर निर्णय नहीं हुआ, तब उसने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष दूसरी आपील दायर की। आवेदन पर सुनाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने 19.08.2015 को आदेश के तहत जनसूचना अधिकारी

लोकपाल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग, लोकपाल पर निर्देशों के प्रासांगिक भाग को उद्धृत करना उचित होगा, जिसे एमजीएनआरई अधिनियम की धारा 27 के माध्यम से व्याधित करता है और यह केंद्र देश सूचना के अधिनियम के तहत तेवर किया गया है, जिसके उद्देश्य में अप्रभावित करता है।

सूचना आयुक्त ने कहा, उनके द्वारा पारित आदेश उत्तर दिया गया है।

सूचना आयुक्त को धारा 8 के अधिनियम के तहत बनाई गई जानकारी निर्देश दिया गया है।



समाज की प्रगति के लिए एप्टेहाइमिक पहल - विष्णु लोधी कोषाध्यक्ष

सहित पूरे टीम ने हमारे प्रदेश लोधी समाज के मननीय प्रदेश अव्याधि घनन्याम वर्षा व संगठन के संकरित होकर छत्तीसगढ़ में जननीयाना के कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना है। क्योंकि यह जनगणना हमारे समाज के लिए एक प्रदेश लोधी समाज छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे विकास के लिए अच्छी एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

विष्णु लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के लिए एक वैवाहिक आदि क्षेत्र में लाभ होगा।

प्रसाद लोधी कोषाध्यक्ष समाज के

